



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2015/माघ 28, 1936

No. 382]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/MAGHA 28, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2015

का.आ. 538(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोट परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

सारणी

(1)	(2)	(3)
“11	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [किमी 0.0 से किमी 592.0 (बंगलौर से कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा) और किमी 216.914 से किमी 318.000 (बंगलौर-हौसकोटे-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4ए, [किमी 9.500 से किमी 84.120 (बेलगाम-गोवा/कर्नाटक सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9	कर्नाटक राज्य सरकार।”

<p>[किमी 348-800 से किमी 423.800 (महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 13 [(किमी 30.340 से किमी 418.600 (शोलापुर-बीजापुर-हिंगुंड-हौजपेट चित्रदुर्ग खंड) और किमी 743.900 से किमी 745.000 (मरोली जंक्शन से नंथूर जंक्शन) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 [(किमी 3.700 से किमी 17.200 और किमी 93.700 से किमी 376.700 (गोवा-बर्नाटक सीमा-कुंदरपुर-सूरतखल-नंथूर-मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 [(किमी 28.200 से किमी 189.500 (राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर नीलमंगला जंक्शन के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के देवीहल्ली से हासन) और किमी 328.000 से किमी 345.000 (बी. सी. रोड से पादिल जंक्शन) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 63 [(किमी 280.300 से किमी 375.740 (हौजपेट-बेल्लारी-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 206, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 207 [किमी 58.300 से किमी 139.180 (हौजपेट-दोबासपेट खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 209, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 212, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 218 [(जेवारगी-गुलबर्गा को जोड़ने वाले बीजापुर विस्तार को शामिल करते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 पर होमनाबाद के निकट), राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 234, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 50 (आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा-बीदर-होमनाबाद खंड)], नई रारा सं. 67, नई रारा सं. 150, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 150विस्तार, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 150ए, नई रारा सं. 167, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 169ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 173, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 275 और नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 367 और नई रारा सं. 766 सी के उतने भाग जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित हैं।</p>
--

[फा. सं. एनएच-14013/7/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3 उप-खंड-(ii) के सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 34 (अ), तारीख 2 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2015

S.O. 538(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be

exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
“11	So much of National Highway No.4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 592.0 (Bangalore to Karnataka/Maharashtra Border) and from Km. 216.914 to Km.318.000 (Bangalore-Hoskote-Karnataka/Andhra Pradesh Border)], National Highway No.4A [excluding from Km. 9.500 to km.84.120 (from Belgaum-Goa/Karnataka Border)], National Highway No.9 [excluding from Km. 348.800 to Km. 423.800(Maharashtra/Karnataka Border), National Highway No.13 [excluding from Km. 30.340 to Km. 418.600 (Solapur-Bijapur-Hungund-Hospet Chitradurga section) and from Km. 743.900 to Km.745.000 (Maroli Junction to Nanthoor Junction)], National Highway No.17 [excluding from Km. 3.700 to Km.17.200 and Km. 93.700 to Km. 376.700 (Goa/Karnataka Border-Kundarpur- Surathkal- Nanthoor- Mangalor- Karnataka/Kerala Border)], National Highway No.48 [excluding from Km. 28.200 to Km. 189.500 (Nelamangala Junction on National Highway 4 with National Highway 48 to Devihalli to Hassan) and from Km.328.000 to Km.345.000(B.C Road to Padil junction)], National Highway No.63 [excluding from Km.280.300 to Km. 375.740 (Hospet-Bellary-Karnataka/Andhra Pradesh Border section)], National Highway No.67, National Highway No.206, National Highway No.207 [excluding Km.58.300 to Km.139.180 (Hoskote-Dobbaspeth Section)], National Highway No.209, National Highway No.212, National Highway No.218 (including extension from Bijapur and connecting Jevargi-Gulbarga and terminating at its junction with National Highway No. 9 near Homnabad), National Highway No. 234, new National Highway No. 50 (Andhra Pradesh/Karnataka border-Bidar-Homnabad section), new National Highway No. 67, new National Highway No.150, new National Highway No. 150 Extn, new National Highway No. 150A, new National Highway No. 167, new National Highway No. 169A, new National Highway No. 173, new National Highway No. 275, new National Highway No. 367 and new National Highway No. 766C as are situated within the State of Karnataka.	State Government of Karnataka.”

[F. No. NH-14013/7/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 34(E), dated the 2nd January, 2015.